

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 03/24

वर्ष 2024

जीसीएम संख्या :-2024/26

बउनवानी:- 1. रमेश चन्द पुत्र स्व० श्री पुरुषोत्तम ब्राहामण नि० कुण्डेरा तह० सवाईमाधोपुर
बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र लडडू लाल महाजन निवासी कुण्डेरा तह० सवाईमाधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डेरा तह० स०मा०

(निगरानी विरुद्ध मिसल संख्या 33 मे जारी पटटा संख्या 43 दिनांक 23.11.2006 (28.11.2006)
ग्राम पंचायत कुण्डेरा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:-1. श्री रमेश चन्द गोयल
2. श्री राधेश्याम वैष्णव

वकील प्रार्थी
वकील अप्रार्थीगण

:- निर्णय :- दिनांक :- 24.12.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत कुण्डेरा द्वारा मिसल संख्या 33 मे जारी पटटा संख्या 43 दिनांक 23.11.2006 (28.11.2006) के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश एवं पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि पटटा प्राप्त करने से पूर्व प्रार्थना पत्र पेश करना होता है तथा प्रार्थना पत्र मे सीमाएं व नाप तथा कब्जा कब से किस प्रकार है दर्शित करना होता है। ग्राम पंचायत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद ग्राम पंचायत को अपने रजिस्टर में दर्ज करने के बाद सार्वजनिक नोटिस व विवादित भूखण्ड में एक माह का आपत्ति नोटिस चस्पा करना होता है उक्त प्रकरण मे न तो प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दर्ज किया है और ना ही एक माह का विधिवत नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 1 ने न तो उक्त भूखण्ड की सीमाएं दिखलाई है ओर ना ही ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दर्ज किया है तथा ना ही कब्जा कितने वर्षों से है दर्शित किया है उक्त भूखण्ड पर पूर्व में क्या कच्चा निर्माण था यह भी नहीं दिखाया है इसलिए ग्राम पंचायत ने नियमों की अवहेलना कर पटटा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत कुण्डेरा को नेगोशिएशन से पटटा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत खुले ऑक्शन से ही पटटा जारी कर सकती है तथा 150 वर्ग फुट का पटटा ही फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब व्यक्ति जिसके पास रहने की छत नहीं है को दे सकती है। जबकि इस मामले ने अप्रार्थी 2 से मिली भगत कर 428.6 वर्ग फीट सड़क के किनारे वाली लाखो रूपये कीमत की भूमि का पटटा जारी करवा लिया है जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानी हुई है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूखण्ड के पास प्रार्थी का रिहायशी चार दीवारी मय लेटबॉथ गेट बाडा है इसलिए अप्रार्थी ने मौके की वास्तविक नाप को छिपाकर पटटा प्राप्त किया है तथा उक्त पटटे पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। इस प्रकार उक्त पटटा कपटपूर्वक वास्तविक नाप को छिपाकर कर रास्ते एवं चबूतरे की भूमि का पटटा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। कथन के समर्थन में सरपंच, एवं ग्रामविकास अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त नक्शा एवं तहसील कार्यालय से आरटीआई के तहत प्राप्त नजरी नक्शा ग्राम कुण्डेरा भाग संख्या 132 ब्लॉक संख्या 3 एवं न्यायिक दृष्टान्त 2015(2)DNJ(Raj.) page 595-99, DNJ(Raj.)1995 Page 458-59, DNJ(Raj.)1999 Page 672-74 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी सवाईमाधोपुर रहता है दिनांक 3.1.2024 को अपनी जायदाद सम्भालने अपने गांव कुण्डेरा गया तो विवादित भूखण्ड पर मकान का निर्माण हुआ पाया जाने पर प्रार्थी द्वारा मालूम करने करने पर उक्त भूखण्ड का पटटा अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में बनाया जाना बताने पर पटटे की नकल प्राप्त कर निगरानी जानकारी से अन्दर मयाद पेश कर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर


(निगरानी संख्या 03/2024 उनवानी रमेश चन्द बनाम अशोक कुमार वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योंकि विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे 5 वर्षों से कुण्डेरा में रहना एवं भूखण्ड रामपति से कय करना बताया गया है उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.2006 को दर्ज किया जाकर मौका रिपोर्ट हेतु वार्ड पंचो की कमेटी बनायी जाकर दिनांक 20.9.2006 को कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर कमेटी से विचार विमर्श कर आपत्ति नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 6.11.2006 को कोरम के समक्ष पेश की गयी किसी भी पडौसी या अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर तीन गवाह एवं अपने स्वामित्व संबंधी प्रमाण पेश करने बाबत प्रार्थी को कहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड रामपति बेवा पुरुषोत्तम महाजन से कय किये गये भूखण्ड साईज $28 \times 16.6 = 462$ वर्ग फीट की रजिस्ट्री पेश की जाने पर दिनांक 27.11.2006 को कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 पर सर्वसम्मति से प्रार्थी को 51.33 वर्ग गर्ज का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया जाकर दिनांक 28.11.2006 को पट्टा जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योंकि उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत सम्पादित की गयी है तथा निर्धारित शुल्क 20/-रु प्रतिगज के हिसाब से 51.33 वर्गगज की 1027/-रु व पट्टा शुल्क 100/-रु सहित कुल राशि 1148/-रु जमा कर पट्टा जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि उक्त पट्टा रास्ते एवं चबूतरे की भूमि का जारी किया गया है क्योंकि वर्तमान मे मौके पर रास्ता चालू है तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर लागू नही होते है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व सारी कार्यवाही यथा पंचायत मे प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाना, मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया जाना, उसके बाद कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करना, आपत्ति नोटिस की मयाद समाप्त होने तक किसी पडौसी या व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही होने पर निर्धारित शुल्क 20/-रु प्रतिगज के हिसाब से 51.33 गज की 1027/-रु पट्टा शुल्क 100/-रु सहित कुल राशि 1148/-रु जमा कर अप्रार्थी को अपने कयशुद्धा भूखण्ड साईज $28 \times 16.6 = 462$ वर्ग फीट अर्थात् 51.33 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा पंचायत नियम 167 के तहत जारी किया गया है और नियम 167(2) के तहत पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होना आवश्यक है किन्तु आदेश जैर निगरानी पट्टा संख्या 43 पर केवल सरपंच के ही हस्ताक्षर है सचिव के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार पट्टा संख्या 43 पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नही होने से विधिसम्मत नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिविरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर